

FORM NO. 111

फॉर्म अहकाम

(विभाग 25)

सं. सं. प्र. सं.

सहायक प्रमुख, सीविया

भंडारशिष्टीकरण सं. 21/5-10 द्वारा

दिनांक

6/1/2011

सं. सं. प्र. सं.	वृत्त वा कार्यवाही का विवरण	सं. सं. प्र. सं. व सहायक प्रमुख की सं. सं. प्र. सं.
4/4 11	<p>राजस्व प्राप्ति सूत्र सं. 44/08 रीटिरीशन निर्णय दिनांक 31-5-10 द्वारा नई राजस्व वाढ पुनः नम्बर पर लिखा गया। अह. प्रकरण वर्ग रजिस्टर किया जाकर पत्रवाही वास्ते जबाबदारी दिनांक 7-4-2011 को पेश की।</p> <p style="text-align: center;">Om सहायक प्रमुख, सीविया</p> <p>अकुलाप 340 / पत्रवाही वास्ते जबाबदारी प्रतिवाही गण दिनांक 21-4-11 की पेश की।</p> <p>पत्रवाही पेश हुई। कार्य व डालने अधिकारी समस्त कार्यवाही 5-10 के तहत ही के पेश करवाती जाकर पत्रवाही दिनांक 19/5/11 की पेश हुई। कार्य सं.</p> <p>अकुलाप 340 / पत्रवाही का निवर्तन किया गया। प्रतिवाही गण सं. 5 का समस्त वर्क प्रमाणित करवाती गइ। वकील वादी प्रतिवाही सं. 5 का समस्त पेश किया</p>	

4-4-11

21/5

19/5/11



संख्या
दिनांक

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>संख्या व तारीख आदेश जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए</p>
<p>23/1/19</p>	<p>पत्रावलि पेश हुई। वकील पद्मकाशना उप-। बिस्वाण नावले जजरा शर्मा का 22 नियम 4 O.P.C. के तहत दिनांक 23/1/19 को पेश है।</p>	
<p>28/1/19</p>	<p>पत्रावलि पेश हुई। वकील पद्मकाशना उप-। जपाव शर्मा का पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 O.P.C. पर बहस सुनी गई। शर्मा का प्रतिकार किया जाता है। प्रतिपक्षी दायित्व द्वारा बताया गया कि प्रतिपक्षी संख्या 05 खोपत सिद्ध हुए पेश करने से पहले ही जॉन से चुका था। घृत व्यक्ति के विरुद्ध पेश हुए खारिज योग्य हैं: 2016 (2) आर आर टी. पी. ज. 1200 जगदीश बनाम नाथ अजय अजय अजय की लजरी पेश की गई। प्रतिपक्षी से, 5 अप्रैल 19 को 105 पत्रावलि का पत्रावलि जा. 1/1/19-अंत: पक्षी का पत्र, पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावलि के ब्याप- सुमार होकर नक्कर से काम की जाकर अखिला उपलब्ध है।</p>	

अध्यक्ष कलेक्टर, बोलिया